



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक- 09.03.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 39/26 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 गैस चूल्हा , 01 गैस सिलेन्डर, 01 ई-रिक्शा नं0 DL-8ERB-3693 व 01 पल्सर मो0सा0 नं0 HR-14W-0420 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.02.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री कृष्णपाल सिंह प्रधानाचार्य उच्च प्राथमिक विद्यालय सुन्हैडा ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय की रसोई एवं स्टोर से समान गैस सिलेन्डर, गैस का चूल्हा , भगौने , कूकर, खाने की प्लेट , गिलास आदि सामान चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 39/26 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

श्रीमा पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 39/26 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 गैस चूल्हा , 01 गैस सिलेन्डर,

01 ई-रिक्शा नं0 DL-8ERB-3693 व 01 पल्सर मो0सा0 नं0 HR-14W-0420 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र कृष्ण कुमार निवासी अलीपुर दिल्ली।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 01 गैस चुल्हा , 01 गैस सिलेन्डर, 01 ई-रिक्शा नं0 DL-8ERB-3693 व 01 पल्सर मो0सा0 नं0 HR-14W-0420

अभियुक्त कपिल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 39/26 धारा 305 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 70/26 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 4715/26 धारा 305(बी) बीएनएस थाना अलीपुर जिला आउटर नार्थ दिल्ली।
- 4-मु0अ0सं0 238/26 धारा 305बी बीएनएस थाना अलीपुर जिला क्राईम ब्रांच दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-है0का0 353 नरेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-का0 283 अमी कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 09.03.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 36/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .32 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

07.03.2026 को वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. रितिक पुत्र बिजेन्द्र, 2. विजिल पुत्र सन्जीव निवासीगण ग्राम बराल थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा उसके पुत्र वरुण उर्फ गोलू



पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 36/26 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 36/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .32 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रितिक तोमर पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बराल थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .32 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वाँई थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-का0 1090 अमित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-हो0गा0 572 प्रवेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 09.03.2026

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता -

काला पुत्र चतन सिंह निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री विकास कुमार थाना खेकडा ।
2. है०का० 299 रामकुमार थाना खेकडा ।
3. का० 893 राहुल शर्मा थाना खेकडा ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 09.03.2026

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

इरशाद पुत्र अब्लू निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री कृपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 819 दोसेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 753 सन्दीप कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।